क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जसोल फांटा, जे.वि.वि.एन.एल. कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर
Phone: 02988-225923 Website www.rpcb.nic.in, Email ro.balotara@gmail.com

रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./बालोतरा/ 1484 दिनांकः 31-01-2019

श्रीमान् सदस्य सचिव
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
जयपुर।

विषय :– मैसर्स नैशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया (एन.एच.ए.आई.) के द्वारा (एन.एच. 754K) सांचोर जिला जालोर के पास, राजस्थान–गुजरात बॉर्डर, पर कस्ट्रक्शन 4/6 लाईन एक्सेस कन्ट्रोल हेतु दूरी 208.200 किमी. धाधींया शासन प्रस्तावित हेतु जन सुनवाई का आयोजन दिनांक 21.01.2019 से संबंधित कार्यवाही का विवरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भ में निवेदन है कि, मैसर्स नैशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया (एन.एच.ए.आई.) के द्वारा (एन.एच. 754K) सांचोर जिला जालोर के पास, राजस्थान–गुजरात बॉर्डर, पर कस्ट्रक्शन 4/6 लाईन एक्सेस कन्ट्रोल हेतु दूरी 208.200 किमी. धाधींया शासन प्रस्तावित हेतु जन सुनवाई का आयोजन दिनांक 21.01.2019 को प्रातः 11:30 बजे उपजिला मजिस्ट्रेट कार्यालय भीनमाल परिसर, तहसील–भीनमाल व जिला–जालोर (राज0) में किया गया। जन सुनवाई का कार्यवृत विवरण (Minutes) की हस्ताक्षरित प्रति, उपस्थित पत्रक की प्रति एवं विडियोग्राफी से संबंधित सी.डी. (02 प्रति) एवं फोटोग्राफ (सी.डी. एलबम) सचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

कुल पृष्ठ – 14

भवदीय

(विनय कट्टा)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं., बालोतरा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्याक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिला कलेक्टर, जालोर।
2. उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल, जिला जालोर।
3. उपखण्ड अधिकारी, सायला, जिला जालोर।
4. उपखण्ड अधिकारी, बागोड़ा, जिला जालोर।
5. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जालोर।
6. ग्राम पंचायत, भीनमाल, तहसील–भीनमाल व जिला–जालोर
7. ए.सी.पी. रा.प्र.नि.मं., जयपुर को सुनवाई का कार्यवृत विवरण (Minutes) को मण्डल की वेबसाईट पर दर्शाने हेतु।
8. मैसर्स नैशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया (एन.एच.ए.आई.–पर्यावरण),जोधपुर।

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं., बालोतरा

प्र.का.इ., जोधपुर
8.2.19

kushal\D:\Letter Hindi 2018.doc

जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली, के द्वारा जारी अधि सूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत उद्योगों को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने से पूर्व प्रोजेक्ट स्थल के आसपास के क्षेत्र के लोगो के मध्य जन सुनवाई किया जाना आवश्यक होता है। इसी क्रम में इस जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जालोर के पत्र क्रमांक ROW/18/7080 दिनांक 18.12.2018 एवं क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र क्रमांक राप्रनिमं/क्षे.का./बालोतरा/PH-01/1327-29 दिनांक 19.12.2018 के क्रम में मैसर्स नेशनल हाइवे ऑथोरेटी ऑफ इण्डिया (एन.एच.ए.आई.) के द्वारा प्रस्तावित भारतमाला परियोजना (लोट-4/पैकेज-7) के तहत 4/6 लैन एक्सेस कन्ट्रोल हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754k के निर्माण हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 22.01.2019 प्रातः 11:30 बजे स्थान उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय भीनमाल परिसर, तहसील भीनमाल, जिला जालोर में उपस्थित ग्रामवासियों की उपस्थिति में पर्यावरणीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया।

उक्त पर्यावरणीय जन सुनवाई की आम सूचना राजस्थान पत्रिका एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया के संस्करण दिनांक 21.12.2018 में प्रकाशित की गई जिसकी प्रति परिशिष्ट -'अ' पर संलग्न है। सुनवाई से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय बालोतरा में उक्त जनसुनवाई के संबंध में दिनांक 21.01.2019 तक कोई मौखिक अथवा लिखित आपत्ति/सुझाव/विचार प्राप्त नही हुये।

पर्यावरणीय जन सुनवाई निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई।

1. श्री अशोक कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अतिरिक्त कार्यभार - अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जालोर, आदेश की प्रति संलग्न है)।
2. श्री विनय कटटा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा।
3. श्री दौलतराम चौधरी, उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल, जिला जालोर
4. श्रीमती गोमती शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, सांचौर, जिला जालोर।
5. श्री रमेश कुमार, उपखण्ड अधिकारी, सायला एवं बागोडा, जिला जालोर।
6. श्री रोहित चौहान, तहसीलदार, भीनमाल, जिला जालोर।
7. श्री बलजीत मीणा, कनि. पर्यावरण अभियंता, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा।

पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट -'ब' पर उपलब्ध है।

श्री अशोक कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अतिरिक्त कार्यभार - अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जालोर ने इस जनसुनवाई की अध्यक्षता करते हुए सभी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, जालोर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बालोतरा

उपस्थित अधिकारियों व ग्रामवासियों का स्वागत करते हुए आग्रह किया कि वे सभी प्रस्तावित परियोजना को सूनें तथा इस बाबत किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते है या अपनी आपत्ति/सुझाव/विचार लिखित अथवा मौखिक देना चाहे तो आपका स्वागत है।

इसी दौरान श्री विनय कटटा, क्षेत्रीय अधिकारी ने भी सभी उपस्थित अधिकारियों व ग्रामवासियों का स्वागत करते हुए जनसुनवाई के प्रावधान, उद्देश्य एवं महत्व के बारे में उपस्थित आमजन/ग्रामवासियों को बताया और परियोजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने हेतु परियोजना के पर्यावरणीय विशेषज्ञ/सलाहकार मैसर्स इनवायरो इन्फ्रा सॉल्यूशनस प्राईवेट लिमिटेड, गाजियाबाद के प्रतिनिधी से परियोजना के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। इसी दौरान किसी अन्य व्यक्ति/ग्रामवासी द्वारा बुलाये जाने पर समस्त उपस्थित ग्रामवासी/आमजन उठकर सुनवाई का बहिष्कार करते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय भीनमाल परिसर से बाहर चले गये एवं धरने पर बैठ गये। इसके पश्चात जनसुनवाई में उपस्थित समस्त अधिकारियों द्वारा बार-बार निवेदन करने के बावजूद जन सुनवाई में उपस्थित नही हुये एवं कहा कि हम अपनी आपत्ति/सुझाव/विचार सामुहिक ज्ञापन के रूप में लिखित में प्रस्तुत करेगें एवं समस्त ग्रामवासियों ने अपनी आपत्ति/विचार/सुझाव ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत किये। जिनकी प्रति परिशिष्ट -'स' पर संलग्न है। जनसुनवाई से संबंधित फोटोग्राफ एवं DVD परिशिष्ट-'द' पर संलग्न है।

अंत में श्री देवीलाल सुन्देशा निवासी भीनमाल ने मौखिक रूप से बायोडायवर सीटी की बात करते हुए कहा कि इस परियोजना के तहत हजारों वृक्ष काटे जायेगें, जिनके बदले नये पौधे लगाने का क्या प्रावधान है। जिसके जवाब में कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया गया कि इस परियोजना के तहत लगभग 5909 वृक्ष काटे जायेगें जिनके बदले सड़क के दोनों तरफ तीन पंक्तियों में वृक्षारोपण किया जायेगा जिनकी संख्या लगभग 124800 होगी।

अंत में क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा द्वारा कहा गया कि ज्ञापन एवं मौखिक रूप से प्राप्त आपत्ति/विचार/सुझाव को जन सुनवाई के कार्यवृत में शामिल करते हुए सक्षम प्राधिकरण को प्रेषित कर दिया जायेगा। साथ ही उन्होंने जन सुनवाई में उपस्थित सभी गणमान्य अधिकारियों/नागरिकों को उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देते हुए जनसुनवाई का समापन किया।

(विनय कटटा)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., बालोतरा

(अशोक कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जालोर

were presented before a magistrate. During interrogation it was found that the arrested Maoists were involved in a shooting incident in June.
IANS

1.	Senior Resident	Pay in the pay matrix Level-11 (Rs. 67700) + other allowances	09 posts. 1. Psychiatry - 6 (UR-2, Reserved (Vertical) SC-1, ST-1 & OBC-2 (Horizontal) PH-1. 2. Anaesthesiology- 1 (UR) 3. Radio-diagnosis- 1 (UR) 4. Neurology - 1 (UR)

(Details of the advertisement is available [illegible] website, www.cipranchi.nic.in.)

Sd/- Director
CIP, Ranchi-6.

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,
बसोल फाटा, जे.वि.वि.एन.एल. कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर
Website www.rpcb.nic.in, Email ro.balotara@gmail.com

क्रमांक: राप्रनिम/क्षे.का./बालोतरा/PH-1/1329 दिनांक: 19.12.2018

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "मैसर्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (एन.एच.ए.आई.) के द्वारा (एन.एच. 754 K) सांचोर जिला जालोर के पास, राजस्थान-गुजरात बॉर्डर पर [illegible] 4/6 लेन [illegible] हेतु [illegible] 208.200 [illegible] [illegible] प्रस्तावित हेतु जन सुनवाई के लिए प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित 01.12.2009 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है-

(1) जिला कलेक्टर, जालोर। (2) क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, बसोल फाटा, जे.वि.वि.एन.एल. कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर। (3) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। (4) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। (5) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ। (6) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर। (7) जिला उद्योग केन्द्र, जालोर। (8) उपखण्ड अधिकारी, सायला, बागोड़ा, भीनमाल, चितलवाना एवं सांचोर जिला जालोर (राज.)। (9) ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति, सायला, भीनमाल, चितलवाना एवं सांचोर, तहसील सायला, बागोड़ा, भीनमाल, चितलवाना, सांचोर, जिला जालोर (राज.)।

उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित लोक सुनवाई हेतु दिनांक 22.01.2019 (मंगलवार) को प्रातः 11.30 बजे "उपजिला मजिस्ट्रेट कार्यालय" भीनमाल परिसर, तहसील भीनमाल, जिला जालोर (राज.) में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही किसी भी संबंधित व्यक्ति द्वारा लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर अथवा जन सुनवाई के एक दिवस पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, बसोल फांटा, जे.वि.वि.एन.एल. कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर में दिये जा सकते हैं।

(विनय कट्टा)
क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.मं., बालोतरा

nasaka
be health sure
BID GOODBYE TO THE

UTTARAKHAND MEDICAL SERVICE SELECTION BOARD

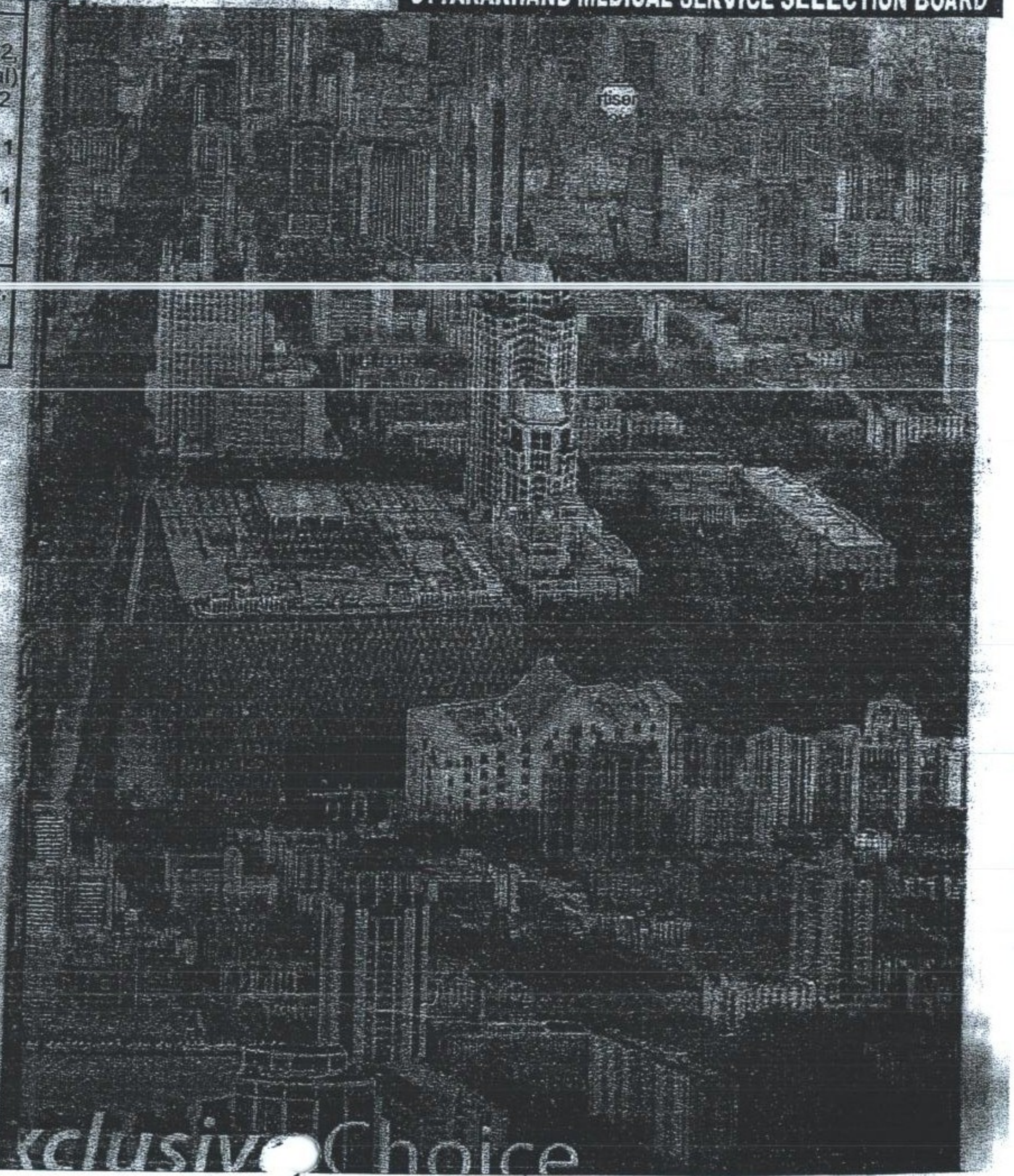

एयरपोर्ट में घुसी आरटीओ टीम, 4 वाहनों के चालान काटे

जोधपुर हवाईअड्डे से बाहर आता परिवहन विभाग का वाहन।

एयरलाइंस कम्पनियां खेती के लिए पंजीकृत ट्रेक्टर से ढो रही थी यात्रियों का सामान

जोधपुर @ पत्रिका. जिला परिवहन विभाग की टीम ने गुरुवार को जोधपुर हवाईअड्डे पहुंच एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अनुमति से एयरपोर्ट परिसर में जेट एयरवेज, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इण्डियन ऑयल के लिए काम करने वाले वाहनों के कागजात जांचे। कागज नहीं मिलने पर चार वाहनों के चालान काटे गए। इससे परिवहन विभाग को करीब 1.50 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

जिला परिवहन अधिकारी तारचंद बंजारा के नेतृत्व में दोपहर 12 बजे विभागीय टीम एयरपोर्ट पहुंची और एयरपोर्ट में संचालित अपंजीकृत वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की। बंजारा ने बताया कि एयरपोर्ट में सामान लाने ले जाने सहित अन्य कार्यों के लिए प्रयोग किए जा रहे सात-आठ वाहनों में से चार अपंजीकृत पाए गए। इन में कृषि कार्यों के लिए पंजीकृत टैक्टर भी शामिल थे जो सीधे तौर पर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन था। बंजारा ने बताया कि यह कार्रवाई मुख्यालय के निर्देश के तहत की गई।

पिचियाक उपकारागृह में सुविधाओं का टोटा

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

निविदा सूचना सं० अभि० क्षेत्र (विद्युत-II)/13/2018-19

ई-निविदा सूचना

निविदा संख्या 28(2018-19)

कार्यालय नगर विकास न्यास, बाड़मेर

महावीर टाउन हॉल के पास, स्टेशन रोड, बाड़मेर राज.-344001

-: आम सूचना :-

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सा.नि.वि.
जोधपुर संभाग, जोधपुर

निविदा सूचना संख्या 23/2018-19

राजस्थान सरकार
आयोजन सचिव पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव-2019
जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर

ई-निविदा सूचना

"पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव-2019" का आयोजन 04 से 13 जनवरी, 2019 तक रावण का चबूतरा मैदान, जोधपुर में होना है, जिसके लिये निम्नानुसार विभिन्न कार्यों/सामग्री आपूर्ति एवं विभिन्न प्राप्ति मद की व्यवस्था हेतु अनुभवी फर्मों से मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः

क-व्यय पक्ष

क्र. सं.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित व्यय (राशि लाखों में)	अमानत राशि	निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग फीस	निविदा प्राप्त करने एवं खोलने की तिथि
1.	डोम, आयरन स्ट्रक्चर टेन्ट व टेम्पेरेटेड उद्घाटन सी.सी. टी.वी. व्यवस्था से संचालन इत्यादि	60.00	1,20,000.00	1000.00	1000.00	26.12.2018
2.	विद्युत एवं जनरेटर व्यवस्था एवं डीजल जनरेटर इत्यादि	11.75	23,500.00	500.00	500.00	26.12.2018

ख-प्राप्ति पक्ष

क्र. सं.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित आय (राशि लाखों में)	अमानत राशि	निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग फीस	निविदा प्राप्ति व खोलने की तिथि
3.	आधुनिकतम अस्थाई झूलों का संचालन	15.00	7,50,000.00	500.00	500.00	26.12.2018

अन्य विवरण एवं जानकारी हेतु जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर कार्यालय अथवा ई-पोर्टल eproc.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

आयोजन सचिव उत्सव-2019

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

उपस्थिति पत्र

परिशिष्ठ 'अ'

मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारतमाला परियोजना (लौट–4/पैकेज–7) के अंतर्गत इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754k के देवगढ़ (जिला जोधपुर) से सांचौर (जिला जालोर) खण्ड के किमी. 0.000 से किमी. 207.000 तक छः/चार लेन मय पेव्ड शॉल्डर कार्य हेतु लोक सुनवाई आयोजित की गई जिसमें उपस्थित व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है :–

क. स.	नाम	पद व पता	हस्ताक्षर
1	श्री अशोक कुमार जी	कार्यवाहक – यू.ई.डी.एफ. सी.ई.ओ. जालोर	[signature]
2	" विनय कटारा जी	[illegible]	[signature]
3	" दौलतराम जी चौधरी	उपखण्ड अधि. भीनमाल	[signature]
4	" श्रीमती जोशी	— " — सांचोर	[signature]
5	बलजीत मीणा	क्षे. पर्या. अधि., रा.प्र.नि.मं. बालोतरा	[signature]
6	[illegible]	[illegible], एन.एच.ए.आई. जोधपुर	[signature]
7	विजय शर्मा	[illegible]	[signature]
8	Shankar Chand Mali	PMU – [illegible] Coordinator [illegible]	[signature]
9	पीराराम	[illegible]	पीराराम
10	मेमाराम	करमाजी डुम्बाणा	मेमाराम
11	प्रेमाराम	पुनमाजी डुम्बाणा	प्रेमाराम
12	भगवानाराम	रामजी डुम्बाणा	[thumb impression]
13	केवाराम	करमाजी डुम्बाणा	
14	[illegible]	पुनमाजी डुम्बाणा	[signature]
15	पुखराज बिश्नोई	सदस्य जिला आयोजना समिति जिला परिषद जालोर	[signature]

क. स.	नाम	पद व पता	हस्ताक्षर
16	जेताराम बिश्नोई	नागरीक भीनमाल	जेताराम
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	Nagpal J. Kotangale	K & J Projects Pvt. Ltd. Shivam, 16 NIT layout, [illegible] Nagar Nagpur	Nagpal
20	भँवरसिंह [illegible]	सायला	[illegible]
21	जगमालाराम बिश्नोई	सांचोर	[illegible]
22	चंदनसिंह	बागोड़ा	[illegible]
23	ऋषिकुमार दवे	जालोर	[illegible]
24	इन्द्रभान भारती	भीनमाल	[illegible]
25	जबरे खाँ	सायला	[illegible]
26	माधवठाकुर	भीनमाल	[illegible]
27	हरिश राणावत	सहा० प्रशा० अधिकारी कलेक्ट जालोर	[illegible]
28	मोहित चौहान	तहसीलदार, भीनमाल	[illegible]
29	परबतसिंह	[illegible]	[illegible]
30	Ramesh Kumar	SDO- Sayla/Bagoda	[illegible]
31	देबीलाल सुन्देरा	अधिवक्ता भीनमाल	[illegible]
32			
33			
34			

पत्र संख्या. 1

पर्यावरण संरक्षण! जीवरक्षा! नशामुक्ति! संस्कार निर्माण!

पंजीयन क्रमांक-30/नागौर/5 जून 2012

श्री जम्भेश्वर पर्यावरण एवं जीवरक्षा प्रदेश संस्था (रजि.)

पंजीकृत प्रधान कार्यालय : श्री गुरू जम्भेश्वर जन्मस्थली, पींपासर ता. एवं जिला नागौर (राज.)

Phone : 01582-241136 (Office) E-mail : jambheswarjeevraksa@gmail.com

संरक्षक	प्रदेशाध्यक्ष	जिलाध्यक्ष
आचार्य स्वामी रामानन्दजी	रामरतन बिश्नोई (एम.कॉम. साहित्यकार)	हीरालाल गोदारा
मुकाम पीठाधीश्वर, मुक्तिधाम मुकाम	नागौर (राज.)	धमाणा का गोलिया, त. सांचोर
मो. 9414429276	मो. 9214118849	मो. 9784199691

क्रमांक SP 1

दिनांक 22/01/2019

श्रीमान क्षेत्रिय अधिकारी
रा. प्र. नि. म. बालोतरा

विषय :- N.H. 754K निकालने पर पर्यावरण प्रभावित होने के क्रम में

मान्यवर जी, जालोर जिले में (सायला) दहीवा से गोलासन (सांचौर) तक सड़क निकलने से पश्चिमी राजस्थान का पर्यावरण गम्भीर रूप से प्रभावित होगा। पश्चिमी राजस्थान बहुत गर्म इलाका है सड़क के कारण हरियाली ऐरिया घटेगा जिस से गर्मी बढ़ेगी। गर्म ऐरिये में रहने वाले जीव-जन्तु बुरी तरह प्रभावित होंगे पूर्व में जीवों की संख्या घट रही है और घटेगी जिससे संतुलन गड़बड़ा जायेगा यहां के लोगों का जीवन पेड़ पौधों के कटने से लोगों का जीवन आधार खत्म हो जायेगा जिसे बचाना हमारा दायित्व है। मांग है इस सड़क को N.H.-68 में मिलाने से पर्यावरण बचेगा हमारी मांग है पर्यावरण बचाने हेतु 68 में जोड़ें

भारत माला एक्सप्रेस हाईवे किसान संघर्ष समिति जिला जालोर

क्रमांक S.P.L - 1 दिनांक 22/1/19

श्रीमान् क्षेत्रिय अधिकारी

राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल,

बालोतरा (बाड़मेर) (केम्प भीनमाल)।

विषय :-- सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन प्रस्तावित भारतमाला परियोजना (**NH -754K**) के संबंध में 'पर्यावरण बचाओ' बाबत्।

जन सुनवाई
22/1/2019

मान्यवरजी,

उपर्युक्त विषय में सादर निवेदन है कि भारतमाला परियोजना NH 754 K जालोर जिले के सांचौर, चितलवाना, भीनमाल, बागोड़ा, सायला तहसील से होकर निकालना प्रस्तावित है।

भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे संघर्ष समिति का निम्न प्रकार से विरोध है :-

1. सांचौर तहसील में गोलासन (गुजरात बार्डर) से चौरा भादरूणा तक 24 किलोमीटर तक का एरिया नर्मदा नहर सिचिंत एरिया है, जिससे प्रतिवर्ष 3 फसलें ली जाती है, जो इस प्रस्तावित सड़क से भंयकर रूप से पर्यावरण प्रभावित होगा। पर्यावरण वैज्ञानिक सागरधारा के अनुसार फैक्ट्री में ऑक्सीजन तैयार होती है। उसी तरह खेतों में किसान ऑक्सीजन तैयार करता है इसी तरह खेती की जमीन नष्ट हो जाएगी और किसान बर्बाद हो जाऐंगे।
2. जालोर जिले में प्रवेश से लेकर गुजरात सीमा तक सायला के दहीवा से गुजरात बार्डर तक गोलासन तक पेड खेजडी, रोहिडा, नीम, बबूल, शीशम व पीपल, कंकेडी जाल इत्यादि ऑक्सीजन तैयार करने वाले लाखों पेड़ प्रभावित होंगे, जिससे इस एरिये का पर्यावरण गड़बड़ा जाएगा।
3. पेड–पौधों के कटने से संथानीम जीव–जन्तु भंयकर रूप से प्रभावित होंगे, जिनका आसियाना उजड़ जाएगा। वर्तमान में हिरण, रोज, गायें इत्यादि इन्हीं पेडों पर निर्भर है, इनका भोजन खत्म हो जाएगा। नीम–कंकेडी, केर, जाल के कटने से मोर, नेवला, अजगर, गौ–सांप, गिरगिट, गिलहरी तितलियां खत्म होने की कगार पर है; इससे पर्यावरण का आधार खत्म हो जाएगा।

4. उक्त सड़क के निकलने से सैकडों की संख्या में परिवार बेघर हो रहे है, जो केवल भटकने पर मजबूर होंगे, जो पर्यावरण को प्रभावित करेंगे।

5. किसान साल में तीन बार फसल की बुवाई करके पर्यावरण को संतुलित करता है। जमीन जाने से उसका आधार ही खत्म हो जाएगा।

6. सड़क के कारण उक्त ऐरिये में बाग--बगीचा, अनार चीकू इत्यादि फलदार पौधे लगे है, वो तमाम प्रभावित होंगे।

7. जालोर जिला मसाला खेती के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। उक्त सड़क निकलने से जीरा, ईसब, दाल दलहन, मिर्च, धनिया, सौंफ आदि का उत्पादन भारी मात्रा में गिरेगा, जो हमारे सामाजिक घटक को प्रभावित करेंगे।

8. वृक्षों की व जीव--जन्तुओं के रक्षार्थ राजस्थान के लोगों ने पूर्व में बलिदान देकर इनको बचाया है (अमृतादेवी बलिदान 363 शहीद हुए)। खेजडी को काटा जाना राजस्थान के लोग धर्म पर प्रहार मानते है, जिनको काटा जाना पुत्र बलिदान सम माना जाता है, इससे सामाजिक विद्रोह हो सकता है।

9. उक्त सड़क निकालने से साल में 3 फसल का ऐरिया घटेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग प्रतिशत बढेगा।

10. उक्त सड़क निकलने से सैकडों ट्यूबवेल प्रभावित होंगे, जिससे फसत बुवाई व पीने के पानी का संतुलन गड़बड़ा जाएगा। नए आधार कायम करने पर सैकड़ों रूपये व्यय होगा।

11. पर्यावरण संतुलन गड़बड़ाने से उक्त पश्चिमी एरिये में बीमारिया बढेगी। गर्मियों में होने वाली बीमारियां होने लगेगी, जिससे समाज रूग्रण अवस्था में पहुंचेगा।

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार।
3. जिला कलेक्टर महोदय जालोर।
4. माननीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भारत सरकार।
5. पी.डी. एस के मिश्रा NH-754K ।

ग्रामपंचायत
सेतरावा

खेतलावास

हीराराम ओलवाड़ा

भागामल जी बालाजी प्रतापपुरा

रुगनाथराम खेतरावा

हीगुलाजी गोवा जी गारबाणी

गुराराम धनावली

भोलाराम देवावत

भगाराम ओलवाड़ा

जेठुसिंह सांगणा

जोगाराम देवावत

नरसाराम जी

उदयसिंह साहवा

रामलाराम डाकरनाजी चौधरी धुम्बडिया

स्वामलदान भाखुसणा

भैराराम गीगाजी कुड़ा

मुकनपुरी दिलराजी

उकाराम विश्नोई सीम्माला

गामाराम करमाजी डुगरड़ा

मोहनलाराम मोतीजी कुडाहेवला

भोलाराम खेवलवाड़ा

मोहनराम मिश्रावाला कुड़ा

जानाराम

कुड़ी जी

डुंगराराम कुड़ा देवला

मंगलाराम

हरगोजी

सांगाराम खेतरावा

सादुलाराम कुडा हेवला

मावाराम कुडा हेवला

तलसाराम

गंगाराम

उकाराम
सेतरावा

तलसाराम
जेमाराम ओलवाड़ हीरालाल

नरपतसिंह
गाजेसिंह
बालकदेव पाका

बस्ताराम कुडा हेवला

रूमी विश्नोई कुम्हार डिया

21-1-19

प्रतिष्ठा में,

माननीय प्रधानमंत्री महोदय
भारत सरकार, नई दिल्ली।

मार्फत :- उपखण्ड अधिकारी महोदया सांचौर जिला जालोर।

विषय :सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन प्रस्तावित भारतमाला परियोजना के सम्बन्ध में।

मान्यवरजी,

—:: ज्ञापन ::—

जरिये ज्ञापन सूचित व आगाह किया जाता हैं कि **दिनांक 12 सितम्बर 2018 से उपखण्ड मुख्यालय सांचोर के समक्ष भारतमाला किसान संघर्ष समिति सांचौर के अध्यक्ष श्री कृपाराम चौधरी की अध्यक्षता में आज दिनांक-21 जनवरी 2019 को 132 वें दिन जारी हैं धरने में गोलासन, गरढाली, प्रतापपुरा, बड़सम, माखुपुरा, जाजुसन, लाछड़ी, जीवा का गोलिया, भूरा की ढाणी, रूड़ा का गोलिया, रावतसर सहित कई गांवों के किसानों ने आपत्ती पत्र उपखण्ड अधिकारी सांचौर को प्रस्तुत कर एक्सप्रेस-वे में जमीन नहीं देने का एतराज पेश किया हैं। 20 से 25 गांवों के किसानों द्वारा अनिश्चित कालीन धरणा देकर मांग कर रहे हैं कि समय रहते हमारी न्यायोचित मांगो पर ध्यान नहीं दिय गया तो आन्दोलन ओर उग्र किया जायेगा।**

सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन हाईवे प्राधिकरण द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत सांगरिया हनुमानगढ़ से सांचौर के आगे गुजरात तक एक्सप्रेस-वे विधानसभा क्षेत्र सांचौर के उतर का शुरूआती गांव वापा से प्रवेश कर निम्बाऊ, देवड़ा, बिजरोल गोलिया, भादरूणा, चौरा, हरियाली, डांगरा, रावतसर, कारोला, रूडा का गोलिया, भूरा की ढाणी, जीवा का गोलिया, लाछड़ी, जाजूसन, बसड़म, माखुपुरा, प्रतापपुरा, हनुमानगढ़, पहाड़पुरा, गरढ़ाली व गुजरात बोर्डर पर लगता अन्तिम गांव गोलासन तक 42 किलोमीटर लम्बी व 70 मीटर चौड़ी बनाना प्रस्तावित हैं।

यह हैं कि उक्त भारतमाला नाम से प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे का पूर्व में हवाई सर्वेक्षण किया गया। जिसमें इस एक्सप्रेस-वे में किसी तरह का एस टाईप मौड़ नही था। सामान्य मौड़ थे, परन्तु धरातल पर सर्वे करने पर राजनैतिक दबाव से सांचौर के पास दो मौड दिये गये। उससे एक्सप्रेस-वे की लम्बाई बढ़ी व किसानों के ज्यादा खेत एक्सप्रेस-वे अधीन गए। सांचौर की जमीन चौरा से लगाकर गोलासन तक नर्मदा कमाण्ड क्षेत्र में आती हैं। जो कीमती जमीन हैं, व किसानों के पास बहुत कम जमीन होने से 42 किलोमीटर लम्बाई में कई किसान भूमिहीन हो रहे हैं, व कई किसानों के खेत के बीचों-बीच सड़क निकलने से खेत दो भागों में बंटने व छोटे-छोटे टुकड़े होने से किसान कास्त नहीं कर पाऐंगे।

यह हैं कि किसानों की जमीन की कीमत का मुआवजा तय किया ही नहीं जा सकता क्योकि सांचौर

विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा कमाण्ड क्षेत्र होने व बाकी भूमिगत जल से सिचांई होने से पीढ़ियों से किसान अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। तथा नर्मदा नहर कि लिफ्ट से सिचिंत 46 किलोमीटर लम्बाई में 42 गांवों के किसान प्रभावित हो रहे हैं। 2–लिफ्ट (प्रथम-गोलासन, द्वितीय-सांचौर) सिस्टम, 13 माईनर, 11 सब माईनर, 371 डिग्गियां ओर 50 हजार हैक्टर भूमि सिचांई हो रही हैं नहर द्वारा सिंचित भूमि में तीनों सीजनों में फसले बोई जाती हैं। अधिकतर किसान छोटे किसान हैं। नौकरी-पैशा या व्यापार इन किसानों के पास नहीं हैं। केवल खेती पर ही निर्भर हैं। ऐसे में एक्सप्रेस-वे निकलने के बाद किसानों के रोजगार व परिवार पालने का कोई जरिया नहीं बचेंगा। किसान दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर होगा। इस एक्सप्रेस-वे से स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं हैं। क्योंकि एक्सप्रेस-वे में चढने व उतरने के बीच काफी दूरी हैं। व एक्सप्रेस-वे पार करने के लिए भी किसान को सामने वाले खेत में खेती पर जाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाकर वापस आना पड़ेगा।

यह हैं कि राजस्थान का अंतिम गांव गोलासन के पास गुजरात में एक्सप्रेस-वे प्रवेश गांव वातड़ाऊ से गांव मियाल होते हुए गांव मेसरा से पुनः **NH-68** पर थराद तक चलेगी। ऐसे में यह पूरी एक्सप्रेस-वे थराद से गांधव तक आराम से चल कर आगे बालोतरा तक सीधी जा सकती हैं। जिससे किसानों के खेत कम खराब होंगे। व मुआवजा भी कम लगेगा।

यह हैं कि एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण द्वारा किसानों को मुआवजा सांचौर में डीएलसी रेट तथा सांचौर से दूर 10 किलोमीटर तक डीएलसी का डेढ गुना, 10 से 15 किलोमीटर तक ढाई गुना, 15 से 20 किलोमीटर तक तीन गुना, 20 किलोमीटर से आगे से आगे चार गुना दिया जाना प्रस्तावित हैं।

उक्त मुआवजा बहुत कम हैं। क्योकि विधानसभा क्षेत्र सांचौर में 42 किलोमीटर में पांच जगह बिजरोल गोलिया में 55.80 हैक्टयर, भादरूणा में 71 हैक्टयर, जीवां का गोलिया व भुरा की ढाणी 88.40 हैक्टयर, जाजुसन 78 हैक्टयर, मौखुपुरा 117.28 हैक्टयर जमीन सर्किल बनाने व वाणिज्यिक व औद्योगिक गलियारा बनाने के नाम पर किसानों से जमीन अवाप्त करना प्रस्तावित हैं। जिसका हम सभी किसान घौर विरोध करते हैं व किसी भी कीमत पर केवल मुआवजे के बदले जमीन नहीं देंगे, मर जाऐंगे परन्तु हमारे पुरखो की पुस्तेनी जमीन जो हमारी आजीविका का साधन हैं नहीं छोड़ेगे, नहीं देंगे।

हमारी मांग हैं कि

1. सांचौर विधानसभा क्षेत्र में इस एक्सप्रेस-वे को हाईवे नं. **68** पर ही चलाया जाय। ताकि किसानों को भूमिहीन नहीं होना पड़े।
2. यह हैं कि जमीन अवाप्त से पूर्व किसी भी प्रकार के पीलर नहीं खड़े किये जाये। क्योंकि किसानों की फसलें खड़ी हैं जो बर्बाद हो जाएगी। जो पीलर खडे कर रहे हैं उन्हें अविलम्ब रोका जाये।

दिनांक–12 सितम्बर 2018 से भारतमाला किसान संघर्ष समिति सांचौर के तत्वाधान में एवं भारतमाल किसान संघर्ष समति सांचौर के अध्यक्ष कृपाराम चौधरी की अध्यक्षता में उपखण्ड मुख्यालय सांचौर के सक्षम अनिश्चित कालीन धरणा आज- दिनांक–21 जनवरी 2019 को 132 वें दिन धरना जारी हैं जिसमें हमारी मांगों पर कार्यवाही नहीं होने पर किसान आन्दोलन करने को तैयार हैं व कभी भी आन्दोलन कर सकते हैं जिसमें तमाम जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी।

प्रतिलिपि :–

1. माननीय नितिन गडकरी परिवहन मंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. माननीय वी.के. जोशी जनरल मैनेजर महोदय, भारतमाला परियोजना जी. 545 सेक्टर नं.10 द्वारका नई दिल्ली–110075
3. माननीय एस.के. मिश्रा परियोजना अधिकारी महोदय भारतमाला परियोजना, 188 उम्मेद हेरीटेज कॉलोनी रातानाडा जोधपुर।
4. माननीय अशोक गहलोत महोदय, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर।
5. माननीय सचिन पायलट, उपमुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
6. माननीय युधवीरसिंह मलिक, सचिव, सड़क ट्रासपोर्ट ओथोरेटी, नई दिल्ली।
7. माननीय देवजी एम पटेल महोदय, सांसद जालोरं-सिरोही।
8. माननीय सुखराम विश्नोई, वन एवं पर्यावरण विभाग मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार एवं विधायक सांचौर जालोर।
9. श्रीमान जिलाधीश महोदय, बाड़मेर।
10. श्रीमान जिलाधीश महोदय जालोर।

विनित

उमेरवदान

पगाराम

(N.choudhury)

ENVIRONMENTAL PUBLIC HEARING

Organized By

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

For

Construction of 4/6 lane access control National Highway No. 754K from Dhandhaniya Sasan (Jodhpur district) to Rajasthan-Gujrat Border near Sanchore (District-Jalore) in the state of Rajasthan under Bharatmala Pariyojana (Package 7/Lot-4). (Approx. length 208.242 km)

By

National Highways Authority of India, (Ministry of Road Transport and Highways)

At

Venue: Sub Divisional Magistrate Office, Bhinmal Parisar
District: Jalore, State: Rajasthan

On

Date: 22nd January 2019, Time: 11:30 AM

DPR Consultant: M/s K & J Projects Pvt. Ltd

Env. Consultant: Enviro Infra Solutions Pvt. Ltd. (Accreditation No. 48)

पर्यावरण स्वीकृति हेतू जन सुनवाई

भारतमाला परियोजना (लॉट-4 / पैकेज -7) के तहत 4/6 लेन अभिगम नियंत्रण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754K का निर्माण राजस्थान राज्य में ढांढणिया सासण (जिला जोधपुर) से राजस्थान-गुजरात सीमा के पास संचौर (जिला-जालौर) तक की जन सुनवाई

दिनांक: 22 जनवरी 2019, समय: प्रात 11:30 बजे

स्थान: उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, भीनमाल परिसर

जिला - जालोर, राज्य: राजस्थान

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

आवेदक – भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

डी. पी.आर. सलाहकार : के एंड जे प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

पर्यावरण सलाहकार: एनवीरो इंफ्रा सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (एक्रेडिएशन नंबर 48)

पर्यावरण स्वीकृति हेतु जन सुनवाई
दिनांक: 22 जनवरी 2019, समय: प्रात 11:30 बजे
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
ENVIRONMENTAL PUBLIC HEARING
Organized By
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
For
Construction of 4/6 lane access control National Highway No. 754K from Dhandhaniya Sasan (Jodhpur district) to Rajasthan-Gujrat Border near Sanchore (District-Jalore) in the state of Rajasthan under Bharatmala Pariyojana (Package 7/Lot-4). (Approx. length 268.242 km)
By
National Highways Authority of India, (Ministry of Road Transport and Highways)
At
Venue: Sub Divisional Magistrate Office, Bhinmal Parisar
District: Jalore, State: Rajasthan
On
Date: 22nd January 2019, Time: 11:30 AM
DPR Consultant: M/s K & J Projects Pvt. Ltd
Env. Consultant: Enviro Infra Solutions Pvt. Ltd. (Accreditation No. 48)
VIKAS BHAVAN
FACILITIES
MULTI PURPOSE HALL
BADMINTON COURT
TABLE TENNIS
GYMNASIUM
CAFETARIA
BOARD GAMES
LOUNGE
LEARNING CENTER
STAGE & ARTIST'S ROOM
OUTDOOR PARTY AREA

ENVIRONMENTAL PUBLIC HEARING
Organized By
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
For
Construction of 4/6 lane access control National Highway No. 754K from Dhandhaniya Sasan (Jodhpur district) to Rajasthan-Gujrat Border near Sanchore (District-Jalore) in the state of Rajasthan under Bharatmala Pariyojana (Package 7/Lot-4) (Approx. length 208.242 km)
By
National Highways Authority of India, (Ministry of Road Transport and Highways)
At
Venue: Sub Divisional Magistrate Office, Bhinmal Parisar
District: Jalore, State: Rajasthan
On
Date: 22th January 2019, Time: 11:30 AM
DPR Consultant: M/s K & J Projects Pvt. Ltd
Env. Consultant: Enviro Infra Solutions Pvt. Ltd. (Accreditation No. 48)
पर्यावरण स्वीकृति हेतू
वाई
भारतमाला परियोजना (लॉट-4 / पैकेज 7) के तहत 4/6 लेन अभिगम नियंत्रण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754K का निर्माण राजस्थान राज्य में ढांढणिया सासण (जिला जोधपुर) से राजस्थान-गुजरात सीमा के पास सांचौर (जिला-जालौर) तक की जन सुनवाई
दिनांक: 22 जनवरी 2019, समय: प्रात 11:30 बजे
स्थान: उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, भीनमाल परिसर
जिला - जालोर, राज्य: राजस्थान
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
आवेदक – भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
डी. पी.आर. सलाहकार : के एंड जे प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
पर्यावरण सलाहकार: एनवीरो इंफ्रा सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (एक्रेडिएशन नंबर 48)

JK COPIER
A4

ENVIRONMENTAL PUBLIC HEARING
Organized By
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
For
Construction of 4/6 lane access control National Highway No. 754K from Dhandhaniya Sasan (Jodhpur district) to Rajasthan-Gujrat Border near Sanchore (District-Jalore) in the state of Rajasthan under Bharatmala Pariyojana (Package 7/Lot-4). (Approx. length 208.242 km)
By
National Highways Authority of India, (Ministry of Road Transport and Highways)
At
Venue: Sub Divisional Magistrate Office, Bhinmal Parisar
District: Jalore, State: Rajasthan
On
Date: 22th January 2019, Time: 11:30 AM
DPR Consultant: M/s K & J Projects Pvt. Ltd
Env. Consultant: Enviro Infra Solutions Pvt. Ltd. (Accreditation No. 48)
पर्यावरण स्वीकृति हेतु जन सुनवाई
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

ENVIRONMENTAL PUBLIC HEARING
Organized By
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
For
Construction of 4/6 lane access control National Highway No. 754K from Dhandhaniya Basan (Jodhpur district) to Rajasthan-Gujrat Border near Somdhore (District-Jalore) in the state of Rajasthan under Bharatmala Pariyojana (Package 7/Lot-4). (Approx. length 208.242 km)
By
National Highways Authority of India, (Ministry of Road Transport and Highways)
At
Venue: Sub Divisional Magistrate Office, Bhinmal Parisar
District: Jalore, State: Rajasthan
On
Date: 22nd January 2019, Time: 11:30 AM
DPR Consultant: M/s K & J Projects Pvt. Ltd
Env. Consultant: Enviro Infra Solutions Pvt. Ltd. (Accreditation No. 48)

ENVIRONMENTAL PUBLIC HEARING
Organized By
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

ENVIRONMENTAL PUBLIC HEARING
Organized By
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
पर्यावरण स्वीकृति हेतु जन सुनवाई
दिनांक: 22 जनवरी 2019, समय: प्रातः 11:30 बजे
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल